उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-23/2017/वे0आ0-2-1093/दस-2017-69(सामान्य)/2010टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ एवं वेतन समिति में नियत मानदेय/संविदा पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों की उनकी नियत मानदेय/संविदा पर नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :----

क्र0सं0	**नाम/पदनाम**
1	सुश्री शाहीना परवीन वरिष्ठ परामर्शदाता
2	श्री राम आसरे दिवेदी वरिष्ठ परामर्शदाता
3	श्री शिव शंकर सिंह विशेष कार्याधिकारी
4	श्री नरेश कुमार निजी सचिव
5	श्री रमेश कुमार तिवारी अवर वर्ग सहायक

मुकेश मित्तल

सचिव।

प0सं0- **<u>संख्या-23/2017/वे0आ0-2-1093/दस-2017-69(सामान्य)/2010टी0सी0</u>**

प्रतिलिपि निम्न्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :----

1- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)
5- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति (दो प्रतियाँ)।
6- सम्बन्धित अधिकारी।
7- विभागीय आदेश पुस्तिका।
8- राज्य सम्पति अनुभाग-2

आज्ञा से,

के0एल0 वर्मा

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in